RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 मुंबई : शनिवार, 22 अक्टूबर 2022 वर्ष 04 अंक 161 संपादक : फैसल शेख पृष्ठ : 4 कीमत : 03 रुपये

दैनिक रोकठोक लेखनी

खबरें बे-रोकटोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

BMC चुनाव से पहले नया गठजोड़?

मनसे के दिवाली कार्यक्रम में शामिल हुए शिंदे-फडणवीस

निकाय चुनावों से पहले राजनीतिक गठजोड़ का संकेत...!

मुंबई के दादर शिवाजी पार्क पर पहली बार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (टठर) अध्यक्ष राज ठाकरे के साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक साथ एक मंच पर दिखाई दिए। मौका था राज ठाकरे की पार्टी टठर की तरफ से रखा गया दिवाली दीपोत्सव कार्यक्रम। पिछले 12 साल से टठर की तरफ से इसका आयोजन किया जा रहा है लेकिन आगामी बीएमसी चुनाव को लेकर यह तस्वीर बेहद अहम मानी जा रही है।

इस मौके पर तीनों नेताओं ने मंच पर खड़े होकर एक साथ बटन दबाकर शिवाजी पार्क पर लगाए गए खास झालर की लाइट जलाकर रोशनी की। वहीं, आपको बता दें टठर की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शिंदे और फडणवीस का शामिल होना मुंबई में निकाय चुनावों से पहले संभावित राजनीतिक गठजोड़ का संकेत है।

उद्धव को BMC की सत्ता से हटाना चाहता है शिंदे खेमा...!

मुंबई समेत दस नगर निगमों के चुनावों की घोषणा आने वाले दिनों में होने की उम्मीद है। शिवसेना के एकनाथ शिंदे खेमे के साथ मिलकर भाजपा उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को बृहन्मुंबई महानगर पालिका की सत्ता से हटाना चाहती है।

मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने किया शिंदे और फडणवीस का स्वागत

मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने 'दीपोत्सव' समारोह में दोनों नेताओं का स्वागत किया। शिंदे ने इस अवसर पर कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण पिछले दो वर्षों के दौरान दिवाली और अन्य त्योहार नहीं मनाए जा सके। उन्होंने कहा, ''हमने (इस साल) गणपति, नवरात्रि का त्योहार धूमधाम से मनाया। यह दिवाली की अच्छी शुरूआत है।''

न पटाखे जलेंगे, न लाउडस्पीकर बजेगा...

मुंबई में 15 दिन के लिए लागू होगी धारा-144

बम धमकी के बाद पुलिस का फैसला

मुंबई : मुंबई पुलिस ने शुक्रवार (21 अक्टूबर 2022) को 1 नवंबर से 15 नवंबर तक पूरे शहर में धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया है। शहर में कानून-व्यवस्था की स्थिति के लिए संभावित खतरे के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 144 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर पाँच से अधिक लोगों के समूह को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं होती है। धारा 144 लागू करने का आदेश महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 10 (2), 37 (3) के तहत जारी किया गया है।

पुलिस कमिश्नर ने आदेश में कहा, ह्वहमें शहर की कानून-व्यवस्था की स्थिति के लिए संभावित खतरे के मद्देनजर कुछ जानकारियाँ मिली है, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक संपत्ति और मानव जीवन का नुकसान हो सकता है ह्व पाँच से अधिक लोगों के सार्वजनिक समारोहों को प्रतिबंधित करने के अलावा, आदेश में यह भी कहा गया है कि शहर में जुलूस निकालने और पटाखों को जलाने पर प्रतिबंध रहेगा।

हालाँकि, मुंबई पुलिस ने शादी समारोहों और अंतिम संस्कार के अवसर पर लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति दी है। प्रतिबंध से शैक्षणिक स्थानों, कार्यालय की बैठकों, सामान्य समाज की बैठकों, सिनेमा हॉल और व्यापारिक गतिविधियों बाहर रखा गया है। जुलूस के दौरान लाउडस्पीकर और संगीत बैंड के उपयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा।

आदेश के अनुसार, ह्वअगर कोई भी इन आदेशों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ह्व महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 2 (6), 10 (2), और 37 (1) के तहत जारी एक अन्य आदेश में, कमिश्नर ने 3 नवंबर से 2 दिसंबर तक तक किसी भी हथियार के उपयोग या परिवहन पर रोक लगा दी है। आदेश के अनुसार, ह्वकोई व्यक्ति पुलिस की पूर्व मंजूरी के बिना किसी भी हथियार, गोला-बारूद या विस्फोटक का भंडारण या परिवहन नहीं कर सकता है ह्व यह आदेश लोगों कोआग्नेयास्त्रों को प्रक्षेपित करने में सक्षम पत्थरों या अन्य वस्तुओं को इकट्ठा करने, परिवहन करने या रखने से भी रोकता है।

सड़क पर कूड़ा फेंकने वाले प्रतिष्ठानों/दुकानों से वसूला जुमार्ना...!

डोंबिवली : कल्याण डोंबिवली क्षेत्र में सड़क पर कूड़ा फेंकने वाले प्रतिष्ठानों/दुकानों से नगर आयुक्त डॉ. भाऊसाहेब दांगडे, उप मुख्य स्वच्छता अधिकारी घुटे एवं स्वच्छता अधिकारी खिस्मतराव ने जुमार्ना वसूला। इस कार्रवाई मेंरामदेव होटल, कल्याण (प.) रु. 1000, पादुका स्टोर, कल्याण (प.) रु. 3000, अमोल गुंजाल, एकवीरा होटल के पास, कल्याण (प.) रु. 300, किंजल स्टोर्स, कल्याण (प.) रु. 3000 इस तरह कुल रु. 7300/- दंडात्मक वसूली की गई। यह कार्रवाई नगर आयुक्त डॉ. भाऊसाहेब दांगडे, अति.आयुक्त मंगेश चितळे के मार्गदर्शन में की गई आरै आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी ऐसा घनकचरा विभाग के उपआयुक्त अतुल पाटील ने कहा है।

पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को झटका...!

सीबीआई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी

महाराष्ट्र : सीबीआई कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामला 100 करोड़ रुपये का जबरन वसूली घोटाले से जुड़ा हुआ है। स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने संजय पलांदे की जमानत याचिका भी खारिज कर दी। पलांदे देशमुख के निजी सचिव थे। दरअसल, मामला भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज केस से जुड़ा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें जमानत मिल चुकी है। सीबीआई उनके खिलाफ भ्रष्टाचार व मंत्री पद के दुरुपयोग के मामले की जांच कर रही है। 71 साल के देशमुख को ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने चार अक्तूबर को जमानत दे दी है। विशेष सीबीआई जज एसएच ग्वालानी ने गुरुवार को उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी कर ली थी और उस पर आदेश सुरक्षित रखा था। परमबीर सिंह ने लगाया था हर माह 100 करोड़ वसूली का आरोप मार्च 2021 में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन गृह

पिछले साल 2 नवंबर को गिरफ्तार हुए थे देशमुख

राकांपा नेता अनिल देशमुख को 2 नवंबर 2021 को गिरफ्तार किया गया था। वे अभी न्यायिक हिरासत में जेल में हैं। पिछले सप्ताह उन्हें कोरोनरी एंजियाग्राफी के लिए मुंबई के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। देशमुख अभी मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं। वे महाराष्ट्र की पूर्ववर्ती महा विकास अघाड़ी सरकार में मंत्री थे। यह सरकार राकांपा, कांग्रेस व शिवसेना ने मिलकर बनाई थी।

संपादकीय / लेख

स्थानीयता का समर्थन...!

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

धनतेरस से ठीक पहले स्थानीय उत्पाद खरीदने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील सुखद और स्वागतयोग्य है। अव्वल तो प्रधानमंत्री ने इशारा किया है कि वह चीन की सीमा के पास से अपील कर रहे हैं और दूसरी ओर, उन्होंने दिवाली के ठीक पहले स्थानीय उद्योगों के उत्पादों की ओर लोगों का ध्यान खींचा है। यह बात छिपी नहीं है कि दिवाली के समय खूब खरीद-बिक्री होती है। एक-एक दुकानदार सामान्य दिनों से दोगुना तक सामान बेच लेता है। ऐसे में, अगर स्थानीय सामान खरीदने के प्रति लोग सजग हुए, तो आधे से ज्यादा सामान आसानी से स्थानीय लिए जा सकते हैं। हालांकि, प्रधानमंत्री ने संकोच के साथ कम से कम पांच प्रतिशत स्थानीय उत्पाद खरीदने की अपील की है। मतलब, कम से कम पांच प्रतिशत की खरीद पच्चीस या पचास प्रतिशत तक भी हो सकती है। बताने की जरूरत नहीं कि बाजार में दिवाली से जुडे.करीब नब्बे प्रतिशत विदेशी उत्पाद उपलब्ध हैं। लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति से लेकर सजावट के सामान तक विदेशी हैं, ऐसे में, प्रधानमंत्री की अपील भले ही पर्यटन केंद्रों व पर्यटकों को संबोधित है, लेकिन इसका असर समूचे बाजार पर पड़ सकता है। पिछले कुछ समय में लोग स्वदेशी उत्पादों के प्रति कुछ जागरूक तो हुए हैं, लेकिन विदेश से होने वाला आयात घट नहीं रहा है।

प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि मैं ह्यवोकल फॉर लोकलह्ल के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री और इस देश के अनेक नेताओं ने पहले भी स्थानीय उत्पादों को तरजीह देने की अपील की है, लेकिन वास्तव में विदेशी उत्पादों के प्रति हमारा मोह बार-बार आड़े आ रहा है। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हमारे कमजोर कदम हमें चिंता में डाल रहे हैं। सामरिक उत्पादों को छोड़ दीजिए, धनतेरस, दिवाली, होली जैसे त्योहार मनाने के मोर्चे पर भी हम आत्मनिर्भर नहीं हैं। स्थानीय उत्पाद खरीदने से न केवल गरीबी कम होती है, बल्कि देश भी आत्मनिर्भर होता है। वैसे, पर्यटन पर जाने वाले लोग देशी-विदेशी या बाहरी-स्थानीय के बारे में नहीं सोचते हैं, स्थानीय उत्पाद खरीदना तो एक आदत है, देश के विकास के लिए इस आदत को अपने संस्कार में ढाल लेना कतई गलत नहीं होगा। लोगों से अपील अपनी जगह है, लेकिन सरकारों को भी स्थानीय स्तर पर ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करनी चाहिए। ऐसा न हो कि सरकारें स्वयं तो ज्यादा से ज्यादा विदेशी सामान खरीदें और आत्मनिर्भरता की नसीहत दूसरे तमाम लोगों के लिए आरक्षित रखें। वास्तव में, आत्मनिर्भरता भी एक आदत है, जिसे बढ़ावा मिलना चाहिए। गौर से देखना चाहिए, दिवाली पर तमाम सरकारी कार्यालयों में जो सजावट हो रही है, क्या उसमें सारा सामान स्वदेशी लगा है?

धनतेरस या दिवाली पर तमाम तरह के उत्पादकों को भी बेहतर उत्पादन के लिए प्रेरित होना चाहिए। लक्ष्य केवल कमाई नहीं है, उत्पाद अच्छा होना चाहिए। कुल मिलाकर, जिन देशों के उत्पाद अच्छे और सस्ते हैं, लोग उधर ही जा रहे हैं। केवल यह कह देना कि विदेश से आ रहे उत्पादों की गुणवत्ता ठीक नहीं है, एक मामूली बहाना भर है। दुकानदारों को भी अच्छे स्थानीय उत्पादों को ही खोजकर अपनी दुकान से बेचना चाहिए। भारत में यह काम मुश्किल नहीं है। हमने देखा है कि अनेक विदेशी वाहन निमार्ता कंपनियों को बोरिया बिस्तर बांधकर भारत से विदा होना पड़ा है, क्योंकि हमारे पास ऐसे वाहन उत्पादक हैं, जो आत्मनिर्भरता के मार्ग पर देश का नेतृत्व कर रहे हैं।

editor@rokthoklekhaninews.com
Faisal Shaikh @faisalshaikh_91

तड़ीपार मोर्चे में भाग लेनेवाले 700 शिवसैनिकों के खिलाफ मामला दर्ज

ठाणे : पुलिस द्वारा किए जा रहे छल का लोकतांत्रिक तरीके से उत्तर देनेवाले शिवसैनिकों पर फिर एक बार नई मुंबई पुलिस ने खुन्नस निकाला है। बुधवार को आयोजित तड़ीपार मोर्चे में भाग लेनेवाले शिवसेना पदाधिकारियों सहित लगभग ७०० शिवसैनिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एनकाउंटर की धमकी, कर्फ्यू नोटिस, फर्जी अपराध, पुलिस सुरक्षा में कमी को लेकर 'ईडी' सरकार चारों तरफ से आलोचनाओं के घेरे में आ खड़ी हुई है। उसके बाद भी 'मिंधे' गुट की मुगलशाही रुकने का नाम नहीं ले रही, जिससे नई मुंबई के लोगों में आक्रोश की लहर उमड़ पड़ी है।

'मातोश्री' के वफादार शिवसैनिकों पर 'मिंधे' गुट में शामिल होने का दबाव बनाया जा रहा है। इस कार्रवाई के विरोध में 'शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे' पार्टी ने बुधवार को नई मुंबई में तड़ीपार मोर्चा निकाला था। इस मोर्चे में कोई अप्रिय घटना नहीं घटी, फिर भी नई मुंबई पुलिस ने शिवसेना नेता व सांसद अरविंद सावंत, शिवसेना सचिव विनायक राऊत, राजन विचारे, विधान परिषद विपक्ष नेता अंबादास दानवे, शिवसेना नेता विधायक भास्कर जाधव, सुनील प्रभु को गिरफ्तार किया। नई मुंबई

शिवसेना की ओर से आयोजित तड़ीपार मोर्चे में पांच हजार शिवसैनिकों ने हिस्सा लिया। इस मोर्चे को संबोधित करते हुए एनआरआई पुलिस स्टेशन में अरविंद सावंत, भास्कर जाधव, अंबादास दानवे के खिलाफ दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं। भाजपा सरकार में पुलिस और मंत्रियों को बदनाम करने की पुलिस उपायुक्त विवेक पानसरे ने धमकी दी है, ऐसा तर्क पुलिस ने दिया है। लोकतांत्रिक तरीकों से विरोध शुरू करने के बाद भी इस तरह से अपराध दर्ज करने के लिए सभी स्तरों पर पुलिस की आलोचना हो रही है।

कल्याण जिलाप्रमुख विजय सालवी को राजनीतिक अपराधों के लिए सीधे तड़ीपार का नोटिस जारी करनेवाले साल्वी का अपराध क्या है? ऐसा पूछनेवाले २२ शिवसैनिकों के खिलाफ सहायक पुलिस आयुक्त ने मामला दर्ज किया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के 'मिंधे' गुट में शामिल होने से लगातार इनकार करनेवाले वफादार शिवसैनिकों को परेशान करने के लिए 'ईडी' सरकार गंदी चाल चल रही है। समाज के लिए खतरा माने जानेवाले गुनहगारों को तड़ीपार का नोटिस दिया जाता है लेकिन पुलिस ने विजय साल्वी को तड़ीपार का नोटिस जारी किया है। साल्वी ने कल्याण के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस पर शिवसैनिकों ने कड़ी नाराजगी जताई और २७ सितंबर को सहायक पुलिस आयुक्त उमेश माने-पाटील से मुलाकात की। विजय साल्वी का अपराध क्या है? यह पूछा गया। हालांकि १५ दिन बाद महात्मा फुले चौक पुलिस ने भीड़ जमा करने का कारण देते हुए जिलाध्यक्ष विजय साल्वी, शहरप्रमुख सचिन बसरे, शरद पाटील, रवि कपोटे, अनिल डेरे, विजया पोटे, आशा रसाल समेत २२ शिवसैनिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

नर्स से निर्भयाकांड!

पांच आरोपियों ने किया सामूहिक दुष्कर्म

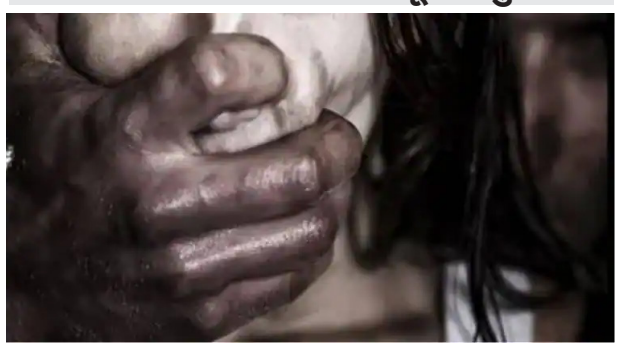

मुंबई : दिल्ली एनसीआर में एक ऐसी दर्दनाक घटना सामने आई है कि दिल्ली फिर दहल गई है। दरअसल, गाजियाबाद शहर में एक नर्स के साथ निर्भया जैसी दरिंदगी की गई है। दिल्ली की रहनेवाली युवती के साथ पांच लोगों ने पहले तो सामूहिक दुष्कर्म किया, फिर उसकी जमकर पिटाई की। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल दी। इसके बाद उसे बोरे में भरकर सड़क किनारे फेंक दिया। पीड़िता भाई का जन्मदिन मनाकर दिल्ली अपने घर लौट रही थी। पीड़िता दिल्ली में नर्स का काम करती है।

पीड़िता के भाई का आरोप है कि उसकी बहन को १६ अक्टूबर की रात १० बजे स्कॉर्पियो गाड़ी में डालकर चार युवक जंगल में ले गए। वहां अपने एक और साथी के साथ मिलकर उन्होंने उसकी बहन के साथ दुष्कर्म किया और उसके प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड डाल दी। १८ अक्टूबर की सुबह उसके हाथ-पैर बांधकर उसे बोरी में बंद कर आश्रम रोड पर सड़क किनारे फेंक दिया। हालांकि इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है लेकिन घटना को संदिग्ध बताया है।

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने पुलिस को नोटिस जारी किया। इसके बाद पुलिस के अफसर हरकत में आए। एसपी सिटी ने घटना के बारे में अपना बयान गाजियाबाद पुलिस के ट्विटर अकाउंट पर दिया। इससे पहले नंदग्राम थाना पुलिस और अफसर घटना पर चुप्पी साधे हुए थे। नोटिस के बाद ही पुलिस ने जीटीबी अस्पताल में संपर्क साधा और मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट के बारे में जानकारी ली।

गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजने वाले लोग सावधान हो जाएं, बैन हो सकता है अकाउंट...

मुंबई : व्हॉट्सऐप आज पूरी दुनिया में मैसेज भेजने का सबसे लोकप्रिय माध्यम है। मगर आप जब सुबह अपना व्हॉट्सऐप खोलते हैं तो उसमें कई मैसेज 'गुड मॉर्निंग' के रहते हैं। रोज-रोज ऐसे मैसेज खीझ पैदा करते हैं। मना करने पर भी लोग मानते नहीं और ऐसे मैसेज भेजते रहते हैं। मगर अब इसे व्हॉट्सऐप ने गंभीरता से लिया है। इसलिए अब 'गुड मॉर्निंग' के मैसेज भेजनेवाले लोग सावधान हो जाएं, वरना उनका ये गुड मॉर्निंग उनके लिए ही 'बैड' साबित हो सकता है। व्हॉट्सऐप उनका एकाउंट बंद कर सकता है।

गौरतलब है कि व्हॉट्सऐप पर ऐसे लोगों की काफी संख्या है, जो रोजाना 'गुड मॉर्निंग' का मैसेज भेजना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को अब सावधान हो जाना चाहिए। ऐसा करनेवाले का व्हॉट्सऐप एकाउंट बैन किया जा सकता है। इसके अलावा अन्य कई कारणों से भी व्हॉट्सऐप पर यूजर्स ब्लॉक हो सकते हैं। बता दें कि व्हॉट्सऐप अपने कई यूजर्स का अकाउंट हर महीने बैन करता है। इनमें हिंदुस्थानी यूजर्स के खाते

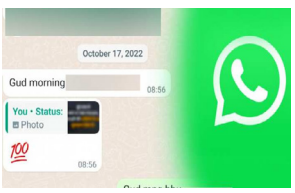

भी शामिल होते हैं। हालांकि, इसके पीछे का कारण कंपनी की पॉलिसी का उल्लंघन करना होता है। कंपनी ने अपनी पॉलिसी में कई कारण लिख रखे हैं, जिनका पालन न करने पर अकाउंट को बैन किया जा सकता है। इनमें प्रमुख है सभी मैसेज को ज्यादातर कॉन्टैक्ट्स को फॉरवर्ड करना। मैसेज फॉरवर्ड लिमिट से ज्यादा फॉरवर्ड्स करना। मैसेज का सही सोर्स न पता होने पर फॉरवर्ड करना। गलत जानकारी वाले मैसेज को फॉरवर्ड करना। देश के खिलाफ आए मैसेज को फॉरवर्ड करना आदि। इसी तरह व्हॉट्सऐप पर कई फीचर्स उपलब्ध हैं, जिनमें से एक ब्रॉडकास्ट फीचर भी है। इसके जरिए एक मैसेज को कई यूजर्स के पास एक साथ भेजा जा सकता है। हालांकि अगर आप इस फीचर का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं।

CBI को जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार से परमिशन की जरूरत नहीं

शिंदे-फडणवीस का ठाकरे को झटका!

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र में किसी केस की जांच करने के लिए सीबीआई को राज्य सरकार को इसकी सूचना देनी होती थी और राज्य सरकार की अनुमति के बाद ही सीबीआई जांच शुरू कर सकती थी. लेकिन अब से महाराष्ट्र में किसी केस की जांच के लिए सीबीआई को राज्य सरकार से परमिशन की जरूरत नहीं होगी. सीबीआई सीधे किसी भी केस की जांच शुरू कर सकेगी. सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास आघाड़ी सरकार की पुरानी नीति को पलट दिया है. उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास आघाड़ी सरकार ने महाराष्ट्र राज्य के दायरे में आने वाले किसी भी केस की जांच के लिए यह फैसला किया था कि सीबीआई राज्य सरकार से परमिशन ले. लेकिन शिंदे-फडणवीस सरकार का सीबीआई को ऐसे किसी भी बंधन से आजाद कर देना एक तरह से ठाकरे सरकार को झटका देने के समान ही है. महाविकास आघाड़ी का तर्क था कि केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए आघाड़ी सरकार ने 21 अक्टूबर 2021 को यह फैसला लिया था कि सीबीआई को राज्य से संबंधित केस की जांच के लिए राज्य सरकार से परमिशन लेना जरूरी होगा.

महाविकास आघाड़ी सरकार के कई नेताओं के लिए खतरे की घंटी...!

अब महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार की बजाए शिंदे सरकार है. यह सरकार एक के बाद एक ठाकरे सरकार के फैसलों को बदलने का काम कर रही है. इसी सिलसिले में सीबीआई को शिंदे-फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र में जांच के लिए 'जनरल कॉन्सेंट' फिर से दे दिया है. इस फैसले से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के कई नेताओं पर जो सीबीआई जांच शुरू है, उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है और आसानी से नए केस खुलने का खतरा बढ़ गया है. सीबीआई को अब केस खोलने के लिए राज्य सरकार के फैसले का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. महाराष्ट्र के कई मामले मुंबई पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंपने की मांग लगातार की जाती रही है. जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तब तो विपक्ष में बीजेपी थी और वह कई मामलों की सीबीआई जांच की मांग किया करती थी. लेकिन आज का विपक्ष सीबीआई जांच की मांग शायद ही करेगा. हां सरकार जब चाहे यह कह पाएगी कि महाराष्ट्र या मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं तो सीबीआई जांच करवा लो.

डीजल की चोरी करता था रेलवे ठेकेदार, जेसीबी ऑपरेटर के साथ RPF ने किया गिरफ्तार...

मुंबई : मुंबई में अंधेरी रेलवे सुरक्षा बल ने डीजल की चोरी करने और उसे बेचने के आरोप में रेलवे के एक ठेकेदार और उससे जुड़े एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया. पुलिस ने गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों के पास से डीजल से भरे चार ड्रम बरामद किये हैं. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों की पहचान मोहम्मद इस्माइल शेख (जेसीबी ऑपरेटर) और संतोष पांडे (ठेकेदार) के नाम से की गई है. अंधेरी आरपीएफ के वरिष्ठ निरीक्षक विक्रम सिंह ने बताया कि आरोपी संतोष पांडे से पूछताछ के दौरान पता चला कि वो बीते 5 सालों से रेलवे के लिए ठेकेदार के रूप में काम कर रहा है. पांडे को पश्चिम रेलवे की तरफ से बोरीवली से लेकर चर्चगेट तक के अंतर्गत आने वाले कुल 72 पंपिग मशीनों में डीजल भरने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था. बारिश के दौरान इन सभी 72 पंपिग मशीनों में डीजल भरने का जिम्मा सौंपा गया था. कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक डीजल की आपूर्ति रेलवे की तरफ की जानी थी. रेलवे की तरफ से पांडे को कुल 3000 लीटर डीजल उपलब्ध करवाया गया था.

बारिश खत्म होने के बाद जब संतोष पांडे से खर्च किए गए डीजल के संबंध में संबंध में हिसाब मांगा गया तब संतोष ने पुलिस को बताया की उपलब्ध करवाए गए कुल 3000 डीजल में से 2200 डीजल का इस्तेमाल पंपिंग मशीन के लिए किया गया. बाकी बचे हुए 800 लीटर डीजल को रेलवे के ही एक अन्य अधिकारी उमेश गुप्ता के सहमति से जेसीबी ऑपरेटर मोहम्मद इस्माइल शेख को बेच दिया गया.

शराबी व्यक्ति ने फोन पर लग्जरी होटल को बम से उड़ाने की दी धमकी, आरोपी गिरफ्तार

मुंबई : मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने फोन पर उपनगरीय वकोला में स्थित एक होटल को बम से उड़ाने की धमकी दी। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया, फोन कॉल गुरुवार रात 8.49 बजे रिसीव हुई, जिसके बाद एक जांच दल ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) के जरिए आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया। अधिकारी ने कहा, हमारी जांच में पाया गया है कि आरोपी शराबी है। इससे पहले भी उसने फोन पर मुंबई विश्वविद्यालय में विस्फोटक होने की धमकी दी थी। उसके खिलाफ बीकेसी और वकोला पुलिस थानों में प्राथमिकी दर्ज है।

इससे पहले मंगलवार को नवी मुंबई से हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल रिसीव हुई थी, जिसमें अंधेरी के एक मॉल, जुहू के मल्टीप्लेक्स और एयरपोर्ट के पास एक होटल में बम विस्फोट होने की सूचना मिली थी। एक अधिकारी ने बताया, इस कॉल के संबंध में आजाद मैदान थाने में मामला दर्ज किया गया था। जांच नवी मुंबई पुलिस को स्थानांतरित कर दी गई थी। मामले की जांच जारी है। इस बीच, मुंबई पुलिस ने लोगों से ऐसी अफवाहों और फर्जी कॉल्स पर विश्वास न करने को कहा। पुलिस ने कहा कि बिना किसी डर के त्योहारी सीजन को मनाने के लिए महानगर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

महाराष्ट्र में CBI जांच के लिए सामान्य सहमति बहाल...!

अब नहीं लेनी होगी गृह विभाग की इजाजत

मुंबई : महाराष्ट्र गृह विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में मामलों की जांच के लिए सीबीआइ (उइक) की सामान्य सहमति बहाल कर दी गई है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 'जनरल कंसेंट' करार को समाप्त कर दिया था। इसके खत्म होने के बाद सीबीआइ को राज्य में किसी भी केस की जांच के लिए राज्य के गृह विभाग से इजाजत लेनी पड़ती थी। हालांकि महाराष्ट्र में इससे पहले भी सीबीआइ को बिना इजाजत केस की जांच करने का अधिकार था। बता दें कि महाराष्ट्र में बीते दिनों राज्य सरकार की जांच व सीबीआइ की जांच में टकराव का मामला सुर्खियों में छाया हुआ था।

बालीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का केस हो या टीआरपी घोटाला जांच मामला, राज्य सरकार व सीबीआइ के बीच की खींचतान साफ नजर आने लगी थी। राज्य सरकार के इस फैसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता अतुल भतखलकर ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि राज्य सरकार ने बिना स्पष्ट कारण बताते हुए जनरल कंसेंट को समाप्त कर दिया, जिसके अंतर्गत सीबीआइ बिना राज्य सरकार की सहमति के राज्य में मामलों की जांच कर सकती थी।

स्कूल उड़ाने की रची थी साजिश, कोर्ट ने कंप्यूटर इंजीनियर को सुनाई उम्रकैद की सजा

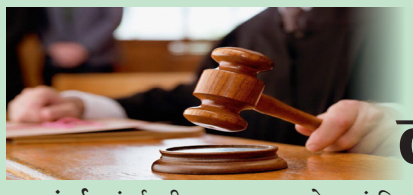

मुंबईः मुंबई की एक अदालत ने यहां स्थित अमेरिकी स्कूल के बच्चों पर हमले की साजिश रचने के दोषी कम्प्यूटर इंजीनियर अनीस अंसारी को शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. ए. जोगलेकर ने उसे सजा सुनाई. अंसारी को अक्टूबर 2014 में महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते ने गिरफ्तार किया था और वह इसके बाद से जेल में था. उसे भारतीय दंड संहिता की उचित धाराओं और सूचना तकनीक कानून के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया. अभियोजन के मुताबिक अंसारी एक निजी कंपनी में एसोसिएट जियोग्राफिक तकनीशियन के रूप में कार्यरत था और उसने अपने कार्यालय के कम्प्यूटर का इस्तेमाल नकली नाम से फेसबुक अकाउंट बनाने और आपत्तिजनक सूचनाएं प्रकाशित करने के लिए किया.

जांच एजेंसी ने उस पर आरोप लगाया कि वह आतंकी संगठन आईएसआईएस की गतिविधियों का समर्थन कर रहा था. फेसबुक पर उमर एल्हाजी के साथ उसका चैट यह दशार्ता है कि वह अमेरिकी स्कूल पर 'लोन वूल्फ' हमला करना चाहता था. 'लोन वूल्फ' हमले से आशय अधिक संख्या में लोगों को मारने के इरादे से केवल एक व्यक्ति द्वारा रेकी करने और साजिश रचने से लेकर हमले तक की सभी गतिविधि को अंजाम देना है.

दैनिक रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक
मुंबई : शनिवार, 22 अक्टूबर 2022

स्कूल उड़ाने की रची थी साजिश!

कोर्ट ने कंप्यूटर इंजीनियर को सुनाई उम्रकैद की सजा

मुंबई: मुंबई की एक अदालत ने यहां स्थित अमेरिकी स्कूल के बच्चों पर हमले की साजिश रचने के दोषी कम्प्यूटर इंजीनियर अनीस अंसारी को शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. ए. जोगलेकर ने उसे सजा सुनाई. अंसारी को अक्टूबर 2014 में महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते ने गिरफ्तार किया था और वह इसके बाद से जेल में था. उसे भारतीय दंड संहिता की उचित धाराओं और सूचना तकनीक कानून के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया. अभियोजन के मुताबिक अंसारी एक निजी कंपनी में एसोसिएट जियोग्राफिक तकनीशियन के रूप में कार्यरत था और उसने अपने कार्यालय के कम्प्यूटर का इस्तेमाल नकली नाम से फेसबुक अकाउंट बनाने और आपत्तिजनक सूचनाएं प्रकाशित करने के लिए किया. जांच एजेंसी ने उस पर आरोप लगाया कि वह आतंकी संगठन आईएसआईएस की गतिविधियों का समर्थन कर रहा था. फेसबुक पर उमर एल्हाजी के साथ उसका चैट यह दशार्ता है कि वह अमेरिकी स्कूल पर 'लोन वूल्फ' हमला करना चाहता था. 'लोन वूल्फ' हमले से आशय अधिक संख्या में लोगों को मारने के इरादे से केवल एक व्यक्ति द्वारा रेकी करने और साजिश रचने से लेकर हमले तक की सभी गतिविधि को अंजाम देना है.

दिन में विश्राम, रात में बुरा काम!

मुंबई पुलिस को किया हैरान, आखिर बना जेल का मेहमान

महाराष्ट्र : सपनों की नगरी कहीं जाने वाली मुंबई आये दिन सुर्खियों में बनी रहती है। जी हां जानकारी के लिए आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से मुंबई और उसके उपनगरों में चोरी की घटनाएं बहुत बढ़ गई है। इन घटनाओं ने पुलिस के सिर में बहुत दर्द किया है। इस बीच, नालासोपारा, एक चोर जो दिन में सोता है और रात में चोरी करता है, अब हाल ही में मुंबई पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। आइए जानते है क्या है पूरा माजरा, जिससे पूरी मुंबई थी परेशान..

आपको बता दें कि मुंबई का यह चोर पिछले कई दिनों से घर में बड़ी सेंधमारी कर रहा था, जिससे पुलिस के सामने उसे पकड़ने की चुनौती पैदा हो गई। उसके द्वारा किये गए सात अपराध सामने आये है। बता दें कि उसके पास से कीमती सोने के जेवर, मोबाइल आदि बरामद किए गए हैं। नालासोपारा पुलिस इस संबंध में आगे की जांच कर रही है। पुलिस के

अनुसार, नालासोपारा पश्चिम दिशा में एक घर के नीचे बैठी थी, जब वह फोन पर बात कर रही थी, तभी एक अज्ञात हमलावर ने एक महिला को पीछे से चाकू मार दिया और कीमती सामान ले गया। इसी दौरान चोर ने महिला को मीटर रूम में बंद कर लूट लिया। इस पर सलमा मेहतर ने 21 अगस्त 2022 को नालासोपारा थाने में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस को सूचना मिली कि शिफत पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और अपनी बहन के साथ रहता है। वह दिन में पूरा दिन सोता था और रात में घर में घुस जाता था, और चोरी करता था, लेकिन जब वह इन चोरी हुए गहनों को बेचने जा रहा था। तभी पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने उसका पदार्फाश कर दिया। इस चोरी के बाद उसने घर में लगातार छह चोरी की थी। पुलिस ने इस अपराध में 90% तक सामग्री को जब्त कर लिया है।

चोरी से मचाया हाहाकार...

नालासोपारा पुलिस आयुक्त सदानंद दाते, अपर पुलिस आयुक्त श्रीकांत पाठक, पुलिस उपायुक्त प्रशांत वधुंडे, सहायक पुलिस आयुक्त चंद्रकांत जाधव में नालासोपारा थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विलास सुपे, राहुल सोनवणे के मार्गदर्शन में चोरी की बढ़ती संख्या को देखते हुए और नालासोपारा पुलिस स्टेशन की टीम ने सीसीटीवी की मदद से एक अंडरकवर रिपोर्टर शिफत हबीब शेख (उम्र 19) की सूचना के आधार पर प्रथम दृष्टया पुलिस जांच में खुलासा किया कि उसने यह अपराध किया है।

ठाणे में गोलीबारी की घटनाओं में दो व्यक्ति घायल

ठाणे : महाराष्ट्र के ठाणे शहर में शुक्रवार को गोलीबारी की दो अलग-अलग घटनाओं में दो व्यक्ति घायल हो गये। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, नौपाड़ा इलाके में सुबह करीब पांच बजे अज्ञात लोगों ने एक कारोबारी की कार में कथित तौर पर तोड़फोड़ की, लेकिन जब एक राहगीर ने उन्हें टोका तो उन्होंने उसे नजदीक से गोली मारकर घायल कर दिया। एक अधिकारी ने बताया कि 27 वर्षीय इस घायल को आननफानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। अधिकारी ने कहा कि दूसरी घटना मामा भांजा हिल इलाके की है, जहां एक आदतन अपराधी (हिस्ट्रीशीटर) को अज्ञात लोगों ने सुबह करीब साढ़े दस बजे कथित तौर पर गोली मार दी।

संजय राउत की जमानत पर सुनवाई 2 नवंबर तक टली, नवाब मलिक भी जेल में हैं

मुंबई : उद्धव गुट वाली शिवसेना के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। पात्रा चॉल से जुड़े इस केस में उन्हें इसी साल जुलाई में गिरफ्तार किया गया था। पिछले महीने विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (ढटछअ) कोर्ट से उन्होंने जमानत मांगी थी। इस याचिका का अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने विरोध किया था। उन्होंने हवाला दिया था कि जांच एजेंसी के पास 2011 से रिकॉर्ड मौजूद हैं, जो बताते हैं कि

संजय राउत पात्रा चॉल परियोजना में शामिल थे।

करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम खरीदने का आरोप

ED ने मलिक की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में बताया था कि, मंत्री नवाब मलिक ने कथित रूप से मुनिरा प्लंबर से 300 करोड़ रुपए का प्लॉट कुछ लाख रुपए में एक कंपनी के जरिए हड़पा था। इस कंपनी का नाम सॉलिड्स इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड है और कंपनी का मालिक मलिक परिवार है।

ये है पात्रा चॉल केस

सिद्धार्थ नगर उपनगरीय गोरेगांव में पात्रा चॉल है। यह 47 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें 672 किराएदार परिवार रहते हैं। 2008 में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने HDCL की एक सहयोगी कंपनी को चॉल के लिए एक पुनर्विकास अनुबंध सौंपा था।

GACPL को किराएदारों के लिए 672 फ्लैट बनाने और महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (म्हाडा) को कुछ फ्लैट देने थे। हालांकि, एऊ के अनुसार पिछले 14 सालों में किराएदारों को एक भी फ्लैट नहीं मिला है। एऊका आरोप है कि कंपनी ने पात्रा चॉल का पुनर्विकास ही नहीं किया, बल्कि बिल्डरों को 1,034 करोड़ रुपए में भूमि पार्सल और फ्लोर स्पेस इंडेक्स बेच दिया था।

नवाब मलिक पर दाउद इब्राहिम की संपत्तियों की खरीद फरोख्त और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप

62 साल के NCP नेता नवाब मलिक को इसी साल फरवरी में एऊने गिरफ्तार किया था। उन पर दाउद इब्राहिम की प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया था। वे अभी न्यायिक हिरासत में हैं। एऊकी टीम ने 23 फरवरी की सुबह करीब सात बजे उनके घर पर छापेमारी की थी। इसके बाद ED उन्हें अपने साथ ले आई थी।

शिंदे सरकार ने बदला उद्धव का फैसला!

महाराष्ट्र के मामलों की जांच के लिए CBI को दी मंजूरी, जानें अधिकार क्षेत्र...

मुंबई: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नीत महाराष्ट्र सरकार ने पूर्ववर्ती महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से राज्य के मामलों की जांच के लिए वापस ली गई आम सहमति के फैसले को पलट दिया है. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. अधिकारी ने बताया कि शिंदे सरकार ने केंद्रीय एजेंसी को दी जाने वाली आम सहमति बहाल कर दी है.

मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी ने बताया कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाले गृह विभाग ने राज्य के मामलों की जांच के लिए सीबीआई से आम सहमति वापस लेने के एमवीए सरकार के फैसले को पलटने के प्रस्ताव दिया था, जिसे मुख्यमंत्री शिंदे ने मंजूरी दे दी है. उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद सीबीआई को अब राज्य के मामलों की जांच के लिए राज्य सरकार से मंजूरी नहीं लेनी होगी. उल्लेखनीय है कि 21 अक्टूबर 2020 को उद्धव ठाकरे नीत एमवीए सरकार ने सीबीआई से जांच के लिए आम सहमति वापस ले ली थी. तत्कालीन राज्य सरकार ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार राजनीतिक बदले के लिए जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है.

मालिक , मुद्रक,प्रकाशक ,संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिंटिंग प्रेस , गाला नं 3 - 4 ,अमीन इंडस्ट्रियल इस्टेट ,सोनावला क्रॉस रोड नं 12 ,गोरगांव (पूर्व),मुंबई 63 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। संपर्क कार्यालय : 1 -ए, ग्राउंड फ्लोर साहिल मेंशन, बालमिया लेन, माहिम वेस्ट मुंबई 400016 मोबाइल नं 9987 77 5650 व्हाट्सप्प नं 7977 40 8589 : Email - editor@rokthoklekhaninews.com